न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या एलआरए/129/2012

उनवान

1. नंदा पिता छीतर गाडरी निवासी कंकोलिया तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. गणेश पिता ऊंकार गाडरी निवासी कंकोलिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बनेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 27/2011 निर्णय एवं दिनांक 27.3.2012

अधिवक्तागण :–

1. श्री आर पी सोनी, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री महेश जोशी प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 25.1.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी हक व अधिकार की कृषि आराजियात ग्राम कंकोलिया तहसील बनेडा में खसरा नम्बर 1754/782 स्थित है । उक्त आराजी के पास ही बिलानाम आराजी नम्बर 782 रकबा 6.03 बीघा स्थित है। जिस पर प्रार्थी का 30–35 वर्षो से कब्जा होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। दिनांक 25.8.2011 को विपक्षी नम्बर 1 ने जबरन प्रार्थी को बेदखल करने का प्रयास किया व उक्त भूमि अपने नाम आवंटन होना बताया इस पर प्रार्थी ने राजस्व रेकार्ड की नकलें प्राप्त की । तब जानकारी हुई कि विपक्षी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से मिलीभगत करके उक्त भूमि अपने नाम पर प्रशासन गांवों के संग अभियान 2001 में आवंटित करा ली । आवंटन से पूर्व उद्घोषणा जारी नहीं की गई। पटवारी हल्का के अलावा आवेदन पत्र किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर में तारीख अंकित नहीं की गई है। आवंटन सलाहकार समिति ने बिना मौके की जांच किये भूमि का आवंटन किया । सुपुर्दगीनामा दिनांक 15.3.2005 को बनाया गया जिसमें आवंटन आदेश दिनांक 1.1.2005 अंकित है। पटवारी द्वारा आवेदन में रिपोर्ट दिनांक 8.1.2002 को की गई। विपक्षी को वादग्रस्त भूमि का आवंटन दिनांक 8.1.2002 को किया गया है अथवा 1.1.2005 को किया गया है। यह स्पष्ट नहीं है । इस प्रकार आवंटन के तीन वर्ष पश्चात आवंटित भूमि का कब्जा सुपुर्द किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर तीन वर्ष की अवधि तक आवंटी का कोई कब्जाकाश्त नहीं है। आवंटी ने आवंटन शर्तो की पालना नहीं की है। वादग्रस्त भूमि पर कब्जाकाश्त अपीलार्थी का चला आ रहा है। अपीलार्थी के विरूद्ध अतिक्रमण के फलस्वरूप शास्ति भी अधिरोपित की गई है। जिससे भी अपीलार्थी का कब्जाकाश्त प्रमाणित होता है। उक्त भूमि/प्रार्थी की खातेदारी की आराजी से सटी हुई है। अतः

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी संख्या 1 को किया गया वादग्रस्त भूमि का आवंटन निरस्त किया जाये।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 782 रकबा 6 बीघा 03 बिस्वा में से प्रत्यर्थी को जो 4 बीघा 05 बिस्वा आवंटित की गई है वह अपीलार्थी की खातेदारी की आराजी संख्या 1754/782 के पास स्थित है। जिस पर अपीलार्थी का कब्जाकाश्त 30–35 सालों से चला आ रहा है। प्रत्यर्थी संख्या 1 को आवंटित रकबा अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि के पास ही है इसलिए अपीलार्थी उक्त आराजी को अपने नाम पर छोटी पट्टी के रूप में आवंटन कराने का अधिकारी है।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि आवंटन के समय कोई सार्वजनिक उद्घोषणा जारी नही की गई थी न ही कोई मौका या कब्जे बाबत जांच की गई थी। आवंटन नियमों की पालना भी नहीं की गई थी एवं आपत्तियॉ भी नहीं मांगी गई थी। राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों से मिलीभगत करके प्रत्यर्थी संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजी का आवंटन अपने नाम पर कराया है। अपीलार्थी ने अपने कथनों की ताईद में वादग्रस्त आराजी संबधित राजस्व रेकार्ड, जमाबंदी, पेनल्टी की रसीदें, नकलें पेश की , मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मंगाई गई साथ ही पडौसियान के शपथ पत्र पेश किये ये जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवलोकन नहीं किया गया एवं अपीलाधीन निर्णय द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी रिपोर्ट पेश हुई जिसमें दिनांक 8.1.2002 अंकित है तथा सिपुर्दगीनामा जो तैयार किया गया है उस पर दिनांक 15.3.2005 अंकित होकर कब्जा सुपुर्द करना बताया है। जिसमें आवंटन आदेश 1.1.2005 अंकित है। जिससे आवंटन दिनांक स्पष्ट नहीं है। साथ ही 2002 में आवंटित भूमि का कब्जा 03 वर्ष बाद सन् 2005 में देना बताया है तथा इन तीन वर्षो की अवधि में आवंटी का कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा जबकि आवंटन के वर्ष में आवंटित आराजी का 1/2 भू भाग एवं उसके बाद द्वितीय वर्ष में सम्पूर्ण आराजी पर काश्त किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार आवंटी/प्रत्यर्थी संख्या 1 ने आवंटन के पश्चात आवंटन नियमों की पालना में काश्त नहीं की है। इस प्रकार पूरी आवंटन प्रक्रिया ही संदेहास्पद हो जाती है। जिसकी ताईद शपथ पत्रों एवं पेनल्टी की रसीदों से भी होती है। वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी के कब्जे में पिछले 30–35 वर्षो से चली आ रही है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी के आवंटन बाबत किसी प्रकार की सार्वजनिक उद्घोषणा जारी नहीं की गई । राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर प्रशासन गांवों के संग अभियान 2001 में प्रभारी अधिकारी के समक्ष आवेदन पेश किया जिसमें पटवारी के हस्ताक्षरों के अलावा किसी भी अधिकारी के द्वारा तारीख अंकित नहीं की गई है न ही मौके की जांच की गई है। उक्त तथ्य अपीलार्थी ने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधीनस्थ न्यायालय में स्पष्ट किये थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन बिन्दुओं पर कोई गौर नहीं अपीलार्थी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का भी निर्णय में कोई खण्डन नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने कथनों की ताईद में न्यायिक उद्धरण ए आई आर 1974 पेज 87 प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

8. अधिवक्ता प्रत्यर्थी का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी/प्रार्थी का कोई कब्जाकाश्त नहीं रहा है। आवंटित आराजी पर प्रत्यर्थी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। पटवारी हल्का ने आवंटित भूमि का विधि अनुसार कब्जा सुपुर्द किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे। यदि अपीलार्थी का कब्जा था तो आवंटित भूमि आराजी नम्बर 1754/782 के समय ही यह भूमि भी आवंटित हो जाती परन्तु ऐसा नहीं था। प्रस्तुत पेनल्टी रसीदों पर भी खसरा नम्बर का अंकन नहीं है एवं न ही पुरानी खसरा गिरदावरी जिनमें कब्जा अंकित किया जाता है प्रस्तुत की गई है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी अपीलार्थी का कब्जा उक्त आवंटित आराजी पर होना नहीं बताया गया है।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एंव अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी का कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। जबकि वक्त आवंटन वादग्रस्त आराजी भू भाग राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज थी। इस संबंध में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पटवारी हल्का की रिपोर्ट है। वक्त आवंटन आवंटी/प्रत्यर्थी भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में आता था। जहॉ तक अपीलार्थी का यह कथन कि प्रत्यर्थी/आवंटी को वादग्रस्त भूमि का कब्जा 2005 में सुपुर्द किया गया था। जबकि आवंटन 2001 में किया गया था। उस समय भू आवंटन के बारे में जनरल शिकायत होने पर तहसील बनेडा में किये गये भू आवंटन को स्थगित किया गया था जिससे उक्त भू आवंटन का कब्जा वर्ष 2005 में सिपुर्द किया गया था। प्रत्यर्थी/आवंटी की ओर से प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड जिंस गिरदावरी के अनुसार आवंटित भूमि पर फसल काश्त की गई है। जिससे अपीलार्थी/प्रार्थी के कथन की पुष्टि नहीं होती है कि आवंटित भूमि पर काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो की पालना प्रत्यर्थी/आवंटी द्वारा नही की गई हो। राजस्व प्रकरणों में कब्जा सिद्ध करने के लिए मात्र शपथ पत्र प्रस्तुत करना ही काफी नहीं है। पेनल्टी की रसीदें, आदि दस्तावेज भी किस आराजी नम्बर के है, यह भी स्पष्ट नहीं है।

10. आवंटन निरस्त करने हेतु मूलतः आधार आवंटी द्वारा छल–कपट पूर्वक अथवा मिथ्या दुर्व्यपदेशन द्वारा अपने पक्ष में आवंटन कराया गया हो यह तथ्य साबित होने पर ही आवंटन निरस्त किया जा सकता है। अपीलाधीन मामले में अपीलार्थी/प्रार्थी यह तथ्य साबित नहीं कर पाया है कि प्रत्यर्थी/आवंटी ने वादग्रस्त भूमि का आवंटन छल–कपटपूर्वक अथवा मिथ्या दुर्व्यपदेशन द्वारा कराया हो। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी ने आवंटन निरस्त कराये जाने का जो प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है। उसे बाद विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

11. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.3.2012 को यथावत रखा जाता है।

12. निर्णय आज दिनांक 25.1.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

25/1/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा